(86)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 399–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–12–2015 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 24/अपील/2014–15.

जमनाप्रसाद पुत्र सीताराम पाटीदार
निवासी जाअखेड़ी (मिसरोद)
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

1– सुरेश कुमार पुत्र प्रभूदयाल चौहान
निवासी तामोट
तहसील गौहरगंज जिला रायसेन

2– मोहन पाटीदार पुत्र जमनाप्रसाद पाटीदार
निवासी जाअखेड़ी (मिसरोद)
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....अनावेदकगण

श्री एस.के. श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, एवं

श्री गुलाबसिंह चौहान, अभिभाषक अनावेदक कमांक 1

श्री जे. एस. गौड़, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/6/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–12–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा भामली स्थित भूमि सर्वे नम्बर 66/1, 69/1, 69/3/1, 69/3/3 एवं 79 कुल किता 5 रकबा 6.152 हेक्टेयर अनावेदक कमांक 1 एवं उसके भाई बैनीसिंह के नाम शासकीय अभिलेख में दर्ज थी । अनावेदक कमांक 1 द्वारा एक वर्ष के लिये पंजीकृत मुख्त्यारनामा अनावेदक कमांक 2 के पक्ष में निष्पादित किया गया । अनावेदक कमांक 2 द्वारा उक्त भूमि में से 5 एकड़ भूमि आवेदक जमनाप्रसाद को पंजीकृत विकय पत्र से विकय कर दी गई । तदानुसार आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा सर्वे कमांक 79/1 रकबा 3.40 एकड़ पर आदेश दिनांक 7–6–13 से आवेदक के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–9–14 को आदेश पारित कर आवेदक द्वारा कय की गई भूमि पर उसका नाम अंकित किया जाकर कब्जे के अनुसार बटांन कायम करने के आदेश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने आयुक्त द्वारा दिनांक 28–12–15 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा विधिवत् पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की गई । इस स्थिति पर बिना विचार किये आयुक्त द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है क्योंकि पंजीकृत विकय पत्र की जॉच करने का अधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं होकर पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर नामान्तरण करने हेतु राजस्व न्यायालय बाध्य है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से भूमि कय की गई है और वह सद्भाविक केता है । इस आधार पर कहा गया कि तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत् नामान्तरण नियमों का पालन कर आदेश पारित किया गया था परन्तु आयुक्त द्वारा बिना किसी आधार के अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश निरस्त

करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय को संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय के समान रिट याचिका की शक्तियॉ प्राप्त है और यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के समस्त आदेशों का परीक्षण कर सकता है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक कमांक 1 सीधा–साधा एवं मंदबुद्धि कृषक है और वह हस्ताक्षर करना नहीं जानता है इसी का फायदा उठाकर अनावेदक कमांक 2 द्वारा छल–कपटपूर्वक मुख्त्यारनामा निष्पादित कर अपने पिता को भूमि विकय कर दी इसलिये प्रश्नाधीन भूमि धोखाधडी से कय किये जाने के कारण तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित नामान्तरण आदेश को निरस्त करने में आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(2) विकय पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर विकेता के हस्ताक्षर होना चाहिये जो कि नहीं है और मुख्त्यारनामा कपटपूर्वक तैयार कर बाद में अनावेदक कमांक 1 की फोटो चिपकायी गई है।

(3) तहसीलदार द्वारा विधिवत् इश्तिहार का प्रकाशन नहीं किया गया है और तहसील न्यायालय द्वारा आदेशिका में काटछाट कर अनावेदक कमांक 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया है जिसे निरस्त करने में आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(4) आयुक्त के आदेश के पालन में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 29–11–2016 को प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक कमांक 1 का नाम दर्ज कर दिया गया है इसलिये भी यह निगरानी निरर्थक होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(5) राजस्व न्यायालयों को स्वत्व के संबंध में संक्षिप्त जॉच करने का अधिकार प्राप्त है इसलिये भी आयुक्त द्वारा पंजीकृत विकय पत्र की संक्षिप्त जॉच कर आदेश पारित किया गया है जो स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा अनावेदक कमांक 1 के तर्को को समर्थन दिया गया ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् इश्तिहार का प्रकाशन नहीं किया गया है और न ही नामान्तरण नियम 27 के अन्तर्गत हितबद्ध पक्षकारों को व्यक्तिशः सूचना दी गई है । प्रकरण में संलग्न मुख्त्यारनामा भी संदेहास्पद है और ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनुचित आदेश है और उपरोक्त स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है, इसलिये उनका आदेश भी विधिसंगत नहीं ठहराया जा सकता है, अतः आयुक्त द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–12–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर